लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– **ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, फेज–1, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, ग्राम–मांढर, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् एक्जिस्टिंग पेलेट प्लांट 0.6 मिलियन टन/वर्ष से 0.8 मिलियन टन/वर्ष एलांग विथ अपग्रेडेशन ऑफ एक्जिस्टिंग 0.7 मिलियन टन/वर्ष ऑयरन ओर ग्राईंडिंग यूनिट से 1.0 मिलियन टन/वर्ष ऑयरन ओर ग्राईंडिंग एण्ड बेनिफिकेशन प्लांट एण्ड 1.2 मिलियन टन/वर्ष इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एवं 260 मेगावाट (डब्ल्यू.एच.आर.बी.–110 मेगावाट + 150 मेगावॉट थर्मल) पॉवर प्लांट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 10.01.2019 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।**

मे0 सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, फेज–1, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, ग्राम–मांढर, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् एक्जिस्टिंग पेलेट प्लांट 0.6 मिलियन टन/वर्ष से 0.8 मिलियन टन/वर्ष एलांग विथ अपग्रेडेशन ऑफ एक्जिस्टिंग 0.7 मिलियन टन/वर्ष ऑयरन ओर ग्राईंडिंग यूनिट से 1.0 मिलियन टन/वर्ष ऑयरन ओर ग्राईंडिंग एण्ड बेनिफिकेशन प्लांट एण्ड 1.2 मिलियन टन/वर्ष इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एवं 260 मेगावाट (डब्ल्यू.एच.आर.बी.–110 मेगावाट + 150 मेगावॉट थर्मल) पॉवर प्लांट हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने के लिये लोक सुनवाई कराने बावत् छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया। दैनिक भास्कर तथा हिन्दुस्तान टाईम्स (दिल्ली) समाचार पत्रों के मुख्य संस्करण में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर दिनांक **10.01.2019 (गुरूवार) को प्रातः 11:00 बजे से स्थल सार्वजनिक भवन, कुंदरापारा, ग्राम पंचायत मांढर, विकासखण्ड धरसींवा, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.)** में सुनवाई नियत की गई, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रेषित की गई।

प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् दिनांक 10.01.2019 को डॉ0 रेणुका श्रीवास्तव, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान डॉ0 एस.के. उपाध्याय, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर, उद्योग प्रतिनिधि श्री जी.के. लाखोटिया तथा लगभग 200 जनसामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई प्रातः 11:35 बजे प्रारंभ की गई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रकिया आरंभ की गई। जिन लोगों द्वारा उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गयें है, उनकी सूची संलग्नक–2 अनुसार है।

3. डॉ0 एस.के. उपाध्याय, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर ने प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदया से जन सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया।

4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदया ने प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की तथा परियोजना प्रस्तावक को परियोजना के संबंध में विवरण देने हेतु निर्देशित किया।

5. **परियोजना प्रस्तावक** की ओर से सर्वप्रथम श्री अमित मिश्रा (सुरक्षा प्रमुख) ने परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी तत्पश्चात उद्योग प्रतिनिधि श्री जी.के. लाखोटिया (परियोजना प्रमुख) द्वारा प्रस्तावित परियोजना विषयक विवरण प्रस्तुत किया गया। तदोपरांत परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मोहन राहांगडाले (मे0 पोल्युशन एण्ड इकोलोजी

कंट्रोल सर्विसेस, नागपुर) ने लोक सुनवाई के संबंध में दैनिक भास्कर एवं हिन्दुस्तान टाईम्स (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की दिनांक 06.12.2018 को सूचना प्रकाशन की जानकारी दी। श्री मोहन राहांगडाले ने बताया कि मे0 सारडा एनर्जी एण्ड मिनिरल्स लिमिटेड द्वारा ग्राम मांढ़र छत्तीसगढ़ में आंवटित/अर्जित भूमि पर क्षमता विस्तार के तहत् वर्तमान में पेलेट प्लांट 0.6 मिलियन टन/वर्ष से 0.8 मिलियन टन/वर्ष एलांग विथ अपग्रेडेशन ऑफ एक्जिस्टिंग 0.7 मिलियन टन/वर्ष ऑयरन ओर ग्राईडिंग यूनिट से 1.0 मिलियन टन/वर्ष आयरन ओर ग्राईडिंग एण्ड बेनिफिकेशन प्लांट एण्ड 1.2 मिलियन टन/वर्ष इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट {जिसके अन्तर्गत आयरन ओर पैलेट प्लांट 12,00,000 टन/वर्ष; कोल गैसीफायर (20नग) कुल क्षमता 54,092 सामान्य घन मीटर/घण्टा, आयरन ओर ग्राईडिंग एण्ड बेनिफिशिएषन प्लांट–20,00,000 टन/वर्ष, कोक ओवन–5,40,000 टन/वर्ष, सिन्टर प्लांट–6,50,000 टन/वर्ष, ब्लास्ट फर्नेस–12,00,000 टन/वर्ष, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस–12,00,000 टन/वर्ष, सी.सी.एम. कास्ट बिलेट्स–11,65,000 टन/वर्ष, रोलिंग मिल–10,00,000 टन/वर्ष, स्पंज आयरन प्लांट–6,00,000 टन/वर्ष, आक्सीजन प्लांट–300 टीपीडी, डक्टाईल पाईप एवं इंडक्शन फर्नेस–4,00,000 टन/वर्ष} एवं 260 मेगावाट {डब्लयू.एच.आर.बी.–110 मेगावाट +150 मेगावाट थर्मल} पावर प्लांट प्रस्तावित है जो कि दो चरणों में स्थापित किया जावेगा, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत (मौजूदा एवं प्रस्तावित विस्तार) – रू. 4674.74 करोड, जिसमें से 194 करोड़ रूपये का प्रावधान पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं एवं रख–रखाव के लिए खर्च किया जायेगा एवं 19.12 करोड़ रूपये सालाना खर्च किया जायेगा तथा औद्योगिक पर्यावरणीय दायित्व के लिए अतिरिक्त 11.69 करोड का प्रबंधन रखा गया है।

उन्होने बताया कि, मे0 सारडा एनर्जी एवं मिनरल्स लिमिटेड द्वारा 0.6 मिलियन टन/वर्ष आयरन ओर पैलेट प्लांट का दिनांक 07/10/2009 से संचालन किया जा रहा है, जिसकी पर्यावरण स्वीकृति का नियमितीकरण दिनांक 28/06/2016 को F. N0 J-11011/45/2012-IA II (I) के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा किया जा चुका है। उनके द्वारा बताया गया कि, संचालित आयरन ओर पैलेट प्लांट जिसकी उत्पादन क्षमता 0.6 मिलियन टन/वर्ष है, किसी भी प्लांट एवं मशीनरी को बदले बिना 0.8 मिलियन टन/वर्ष की उच्च्य उत्पादन क्षमता प्राप्त करने में सक्षम है एवं इसके लिए अतिरिक्त भूमि, जल, ईंधन (कोयला), जन शक्ति की आवश्यकता नही होगी।

श्री राहांगडाले ने परियोजना से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि, मौजूदा और प्रस्तावित ईकाईयों की स्थापना हेतु कुल 204.452 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनेरल्स लिमिटेड के अधिकार/स्वामित्व की ग्राम मांढर में कुल 204.452 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है, जो कि चारों ओर से बाउंड्री वॉल निर्मित कर संरक्षित की गई है। प्रस्तावित परियोजना हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नही होगी। कुल 204. 452 हेक्टेयर भूमि का 33 प्रतिशत भाग (67.47 हेक्टेयर) हरित पट्टी क्षेत्र हेतु सुरक्षित किया गया है। हरित पट्टी विकास हेतु आज तक 67,948 पौंधो का 45.30 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजनाओं की स्थापना के उपरान्त कुल 47,635 किलोलीटर/दिन जल की आवश्यकता होगी, जिसकी पूर्ति खारून नदी से की जायेगी। वर्तमान में कंपनी को 3.25 MGD (2 MGD+1.25 MGD) जल का आबंटन जल संसाधन विभाग, छ.ग. शासन के द्वारा किया गया है। रेनवॉटर हॉर्वेस्टिंग व्यवस्था अंतर्गत वर्षा जल के संग्रहण हेतु 4 लाख घनमीटर क्षमता के तालाब का निर्माण किया गया है। एकत्रित जल का उपयोग भी जल आपूर्ति हेतु किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना से कुल 2,231 किलोलीटर/दिन अपशिष्ट जल उत्पन्न होगा, जिसमें 43 किलोलीटर/दिन घरेलू अपशिष्ट जल भी शामिल है। 2,188 किलोलीटर/दिन औद्योगिक अपशिष्ट जल न्यूट्रिलाइजेशन पिट एवं ETP में उपचार के उपरान्त प्रक्रिया में पुनःचक्रीकरण /पुनः उपयोग किया जायेगा। 43 किलोलीटर/दिन घरेलू अपषिष्ट जल क्लोज्ड टाईप के STP में उपचार के बाद सोक पिट मे सुखाया जायेगा। उन्होने बताया कि वर्तमान आयरन

ओर पैलेट प्लांट की उत्पादन क्षमता वृद्धि 0.6 मिलियन टन/वर्ष से 0.8 मिलियन टन/वर्ष में अतिरिक्त ईंधन (कोयला) की आवश्यकता नही होगी। अन्य प्रस्तावित परियोजना में ईंधन के रूप में कोल/एन्थ्रेसाईट कोल/कोक/पेट कोक/प्रोड्युसर गैस एवं फ्यूल ऑयल का उपयोग किया जायेगा। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ESP, मल्टीसाइक्लोन, बैग फिल्टर, डी–डस्टर, GCP (डस्ट कैप्चर और वेट क्लीनिंग प्रणाली), NOx बर्नर, डीसल्फराइजेशन ईकाई के प्रस्ताव की जानकारी दी गई। प्रस्तावित परियोजना में अनुमानित 1914 (प्रत्यक्ष) एवं लगभग 8000 (अप्रत्यक्ष) लोगों की आवश्यकता होगी।

उनके द्वारा परियोजना स्थल, जलवायु की स्थिति, स्थल का प्रकार, महत्वपूर्ण संसाधन आवश्यकता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल एवं विद्युत की आवश्यकता एवं स्त्रोत, मानव श्रम की आवश्यकता, अग्निशमन सुविधायें, आधारभूत पर्यावरणीय अध्ययन, वायु गुणवत्ता की स्थिति, ध्वनि स्तर, जल गुणवत्ता, मृदा गुणवत्ता के सापेक्ष 10 किलोमीटर परिधि के आधारभूत अध्ययन के संबंध मे जानकारी, जैविक पर्यावरण, सामाजिक तथा आर्थिक पर्यावरण, 10 किलोमीटर अध्ययन क्षेत्र की परिधि में शिक्षा सुविधाओं के विषय में विवरण, अध्ययन क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का तुल्नात्मक विश्लेषण, पर्यावरण प्रभाव का पूर्वानुमान तथा उनको कम करने के उपाय, योजना, सामाजिक–आर्थिक प्रभाव, पर्यावरण निरीक्षण कार्यक्रम, जोखिम मुल्यांकन एवं आपदा प्रबंधन योजना, प्रस्तावित परियोजना के लाभ, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना एवं निष्कर्ष के संबंध में जानकारी दी गई।

6. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदया, रायपुर ने जनसामान्य से इस परियोजना से संबंधित अपना विचार रखने, तथा इस संबंध में राय तथा जनसामान्य के लिखित एवं मौखिक सुझाव एवं आपत्ति आंमत्रित की तथा आश्वस्त किया कि जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी हो रही है।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रकिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	वक्ता का विवरण	लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दे	उद्योग प्रतिनिधि का जवाब
1	श्री गणेशन मूर्ति, सदस्य, जनपद पंचायत मांढ़र	मैं कंपनी की प्रस्तावित परियोजना का समर्थन करने के साथ कंपनी से निवेदन करता हूँ कि स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार प्राथमिकता पर रोजगार प्रदान करें। मेरा यह भी अनुरोध है कि ग्राम मांढर जिसमें 70 प्रतिशत ड्राई एरिया है, इसमें दो लाख लीटर की पानी टंकी के साथ बोर, हेन्डपंप एवं सबमर्सीबल प्रदान करने की कृपा करें।	आपके सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह सूचित करना चाहते हैं कि : 1. प्रस्तावित परियोजना में नए रोजगारों के अवसर उत्पन्न होंगे। अधिकांश रोजगार, प्रभावित क्षेत्र के लोगों को उनकी योग्यता व आवश्यकता के अनुसार रोजगार प्रदान किया जायेगा। 2. सरपंच की अनुशंसा से आवश्यकतानुसार सामुदायिक संपत्ति एवं आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कार्य किया जायेगा। ग्राम के दो तालाबो में गहरीकरण, सौन्दर्यीकरण एवं पचरी निर्माण कार्य संस्थान द्वारा किया जा चुका है एवं आने वाले वर्षो में वर्षा जल के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु निर्माण कार्य किया जाना है।

			आपके सुझावों के अनुरूप ग्राम मांढर में पंचायत द्वारा निर्धारित किये स्थल पर कंपनी द्वारा पेय जल हेतु बोरिंग, सोलर पंप, पानी टंकी, आदि की स्थापना कर जनसामान्य के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी।
2	श्री संतराम देवांगन, मांढ़र	मैं कंपनी की प्रस्तावित परियोजना का समर्थन करता हूँ परन्तु जन सुनवाई के स्थल का विरोध करता हूँ यह ग्राम पंचायत भवन में किया जाना था। प्रस्तुतीकरण की प्रति ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जावे। पानी टंकी की व्यवस्था का समय फिक्स किया जावे। ग्राम पंचायत मांढर में सी.एस.आर. के तहत कितनी सुविधाऐं दी गई हैं, की जानकारी दी जावे। मांढर के निवासियों को योग्यता के अनुसार रोजगार में प्राथमिकता दी जावे। स्थानीय लोगों के समस्या के निराकरण के लिए एक अधिकारी कंपनी द्वारा नियुक्ति किया जावे।	1. पर्यावरणीय लोक सुनवाई की तिथि, समय एवं स्थल का चुनाव छ.ग. शासन द्वारा किया गया था। 2. परियोजना से संबंधित ड्रॉफ्ट ई. आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट एवं सार (हिन्दी एवं अंग्रेजी) की प्रति ग्राम पंचायत में लोक सुनवाई सूचना प्रकाशन के साथ छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अवलोकन हेतु उपलब्ध कराई गई थी। परियोजना प्रस्तुतीकरण की दो प्रति एवं ग्राम मांढर में कंपनी द्वारा सी.एस.आर. के तहत कराए गए कार्यों का विवरण वक्ता को उपलब्ध कराया गया। 3. प्रस्तावित परियोजना में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। अधिकांश रोजगार, प्रभावित क्षेत्र के लोगों को उनकी योग्यता व आवश्यकता के अनुसार प्रदान किया जायेगा।
3	श्रीमती निशा मानिकपुरी, कुंदरापारा	औद्योगिक विस्तार का समर्थन है।	–
4	श्रीमती अश्वनी साहू, कुंदरापारा	कंपनी द्वारा सिलाई मशीन प्रशिक्षण में सिलाई सिख रही हूँ। प्लांट विस्तार का समर्थन करती हूँ।	–
5	श्रीमती तामेश्वरी साहू, कुंदरापारा	औद्योगिक विस्तार का समर्थन है।	–
6	श्री श्याम गोस्वामी, कुंदरापारा	युवा बेरोजगारो पर सारा फोकस करें किसी भी युवा को गेट से न भगायें।	प्रस्तावित परियोजना में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। अधिकांश रोजगार, प्रभावित क्षेत्र के लोगों को उनकी योग्यता व आवश्यकता के अनुसार प्रदान किया जायेगा।
7	श्रीमती अनीता साहू, कुंदरापारा	कंपनी द्वारा सिलाई मशीन प्रशिक्षण में सिलाई सीख रही हूँ। प्लांट विस्तार का समर्थन करती हूँ।	–

8	श्री नीलांबर साहू, कुंदरापारा	कंपनी के ठेकेदार के पास दस साल से नौकरी करता हूँ लेकिन मुझे परमानेन्ट नही किया गया है। छुट्टी भी नही मिलती है।	–
9	श्री श्रवण कुमार साहू, मांढ़र	ग्राम पंचायत में सी.एस.आर. के तहत किये गये कार्य की जानकारी दी जावे। बेरोजगारो को रोजगार की गारंटी दें।	अधिकांश रोजगार, प्रभावित क्षेत्र के लोगों को उनकी योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार प्रदान किया जायेगा।
10	श्री ढालेन्द्र साहू, मांढ़र	औद्योगिक विस्तार का समर्थन।	–
11	श्री भुवनलाल साहू, मांढ़र	औद्योगिक विस्तार का समर्थन।	–
12	श्रीमती मुकेश्वरी साहू, कुंदरापारा	औद्योगिक विस्तार का समर्थन। कंपनी के द्वारा प्रदान सिलाई प्रशिक्षण में सीख रही हूँ। सिलाई प्रशिक्षण हेतु बड़ा भवन बनवाने की मांग है जहाँ सिलाई मशीन अच्छे से सिखें।	आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। कंपनी द्वारा पंचायत एवं जनसामान्य की अनुशंसा पर समुदायिक संपत्ति जैसे कि :– 1. महामाया पारा में महिलाओं हेतु सामुदायिक भवन का निर्माण। 2. शासकीय उच्चतर एवं माध्यमिक विद्यालय में शौचालय का निर्माण। 3. शासकीय माध्यमिक शाला में अहाता का निर्माण व सुधार कार्य आदि का निर्माण करवाया जा रहा है। 4. सरपंच की अनुशंसा से आवश्यकतानुसार सामुदायिक संपत्ति एवं आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कार्य किया जायेगा।
13	श्री सुखदेव देवांगन, मांढर	औद्योगिक विस्तार का समर्थन।	–
14	श्री मनोज मानिकपुरी, मांढर	औद्योगिक विस्तार का समर्थन।	–
15	श्री राजेश साहू, मांढर	औद्योगिक विस्तार का समर्थन।	–
16	श्री ठाकुर राम, नगरगाँव	औद्योगिक विस्तार का समर्थन।	–
17	श्री झा कुमार वर्मा, मांढर	औद्योगिक विस्तार का समर्थन।	–
18	श्री रामवतार वर्मा	औद्योगिक विस्तार का समर्थन।	–
19	श्री गोपेश्वर साहू	इस जनसुनवाई का विरोध करता हूँ। यह कार्यक्रम मांढर ग्राम पंचायत में होना चाहिये था।	–

20	श्री मनीष नारंग, कुन्दरापारा	मैं आपत्ति कर रहा हूँ। आज प्रातः ही लोक सुनावई की जानकारी मिली है। उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है, बाहरी लोगों को ही रोजगार दिया जाता है। आज की लोक सुनवाई के संबंध में क्षेत्रीय विधायक को भी जानकारी नहीं है।	1. अधिकांश रोजगार स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार प्रदान किया जायेगा। 2. पर्यावरणीय लोक सुनवाई की तिथि, समय एवं स्थल का चुनाव छ.ग. शासन द्वारा किया गया था। 3. प्रस्तावित परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई की सूचना भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के तहत् क्षेत्रीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर के रायपुर संस्करण में दिनांक 06/12/2018 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स, दिल्ली संस्करण मे दिनांक 06/12/2018 को क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा प्रकाशित कराई गई थी। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट कार्यकारी सारांश के साथ 1. कलेक्टर,रायपुर, 2. निदेशक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली, 3. मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण,वन मंत्रालय नागपुर, 4.सदस्य सचिव, छ.ग.प.स. मंडल नया रायपुर, 5.महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायपुर 6.मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर 7.सरपंच कार्यलय ग्राम पंचायत–मांढर एवं सिलतरा को प्रदान किया गया था। कम्पनी के अधिकारियों द्वारा ग्राम सरपंच, पंचो एवं गणमान्य नागरिकों को प्रस्तावित दिनांक के पूर्व लोकसुनवाई की जानकारी दी गई थी।
21	श्री सन्नी साहू, मांढर	यह लोक सुनवाई ग्राम पंचायत की जगह पर होनी चाहिये थी। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के संबंध में जोर दिया जाना चाहिये। परियोजना के संबंध में सरल भाषा में जानकारी दी जानी	1. संचालित आयरन ओर पैलेट प्लांट की स्थापना हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता नही थी। 2. कम्पनी के अधिकारियों द्वारा ग्राम सरपंच, पंचो एवं गणमान्य नागरिकों को प्रस्तावित दिनांक के पूर्व लोकसुनवाई का प्रचार किया गया

		चाहिये। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के संबंध में मांढर के लोगों को प्राथमिकता दी जावे। इस लोक सुनवाई का इस स्थान पर विरोध करता हूँ, खुले स्थान पर बड़ी जगह पर लोक सुनवाई होनी चाहिये।	था। 3. लोक सुनवाई की सूचना, कार्यवाही, एवं प्रस्तुतिकरण हिन्दी भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। 4. हमारे संस्थान द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत् क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना विकास, लोक कला एवं संस्कृति तथा स्थाई विकास के लिए विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्य सरपंच की सलाह एवं ग्रामवासियों की आवश्यकतानुसार किये जाते हैं। कंपनी की सी.एस.आर. पॉलिसी के तहत् भविष्य में भी कल्याणकारी कार्य किये जाते रहेंगे। 4. प्रस्तावित परियोजना में अनुमानित 1914 (प्रत्यक्ष) एवं लगभग 8000 (अप्रत्यक्ष) लोगो की आवश्यकता होगी। अधिकांश रोजगार, स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार प्रदान किया जायेगा।
22	श्री ओमकार साहू, मांढर	कंपनी के परियोजना विस्तार का समर्थन करता हूँ।	–
23	सुश्री आरती गुप्ता, मांढर	सामान्य जाति को कोई भी लाभ नही मिलता मैं बी.ए. की पढ़ाई कर रही हूँ मुझे अभी तक कोई लाभ नही मिला।	–
24	श्री संतराम देवांगन, मांढ़र	इस सुनवाई का समर्थन अधिक है और विपक्ष में कम बाते हुई हैं। मैं मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेषन हूँ निवेदन है कि मेरे लिए क्या काम मिलेगा बताया जावे।	प्रस्तावित परियोजना में नए रोजगारों के अवसर उत्पन्न होंगे। अधिकांश रोजगार प्रभावित क्षेत्र के लोगों को उनकी योग्यता व आवश्यकता के अनुसार प्रदान किया जायेगा।
25	श्री फिरंता राम साहू, मांढर	औद्योगिक परियोजना का समर्थन।	–
26	श्री जागेश्वर कुमार साहू, मांढर	यह कार्यक्रम खुली जगह में होना चाहिये। यह समर्थन के लायक नहीं है।	–
27	श्री रमेश कुमार साहू, मांढर	कंपनी का समर्थन है।	–
28	श्री गजेन्द्र कुमार निषाद, मांढर	2016 में नौकरी छोड़ चुका हूँ अभी वापस अच्छी पोस्ट पर नौकरी दी जावे।	–

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दे/टीका–टीप्पणी आदि पर उद्योग प्रतिनिधि श्री जी.के. लाखोटिया (परियोजना प्रमुख) द्वारा उक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई। उक्त के अतिरिक्त शासन के आदेशों, निर्देशों का पालन किये जाने की जानकारी दी गई।

अंत मे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदया ने जन सुनवाई की कार्यवाही समाप्त घोषित की।

यह लोक सुनवाई प्रातः लगभग 11:35 बजे प्रारंभ होकर दोपहर लगभग 12:36 बजे संपन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान कुल 84 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जो संलग्नक–1 अनुसार है। संपूर्ण लोक सुनवाई की विडियोग्राफी की गई।

(डॉ0 रेणुका श्रीवास्तव)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला
रायपुर (छ.ग.)

उपस्थिति पत्रक

ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, फेज–1, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, ग्राम–मांढर, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् एक्जिस्टिंग पैलेट प्लांट 0.6 मिलियन टन/वर्ष से 0.8 मिलियन टन/वर्ष एलांग विथ अपग्रेडेशन ऑफ एक्जिस्टिंग 0.7 मिलियन टन/वर्ष ऑयरन ओर ग्राईंडिंग यूनिट से 1.0 मिलियन टन/वर्ष ऑयरन ओर ग्राईंडिंग एण्ड बेनिफिकेशन प्लांट एण्ड 1.2 मिलियन टन/वर्ष इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एवं 260 मेगावाट (डब्ल्यू.एच.आर.बी.–110 मेगावाट + 150 मेगावॉट थर्मल) पॉवर प्लांट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 10.01.2019 का उपस्थिति पत्रक :–

क्रमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	हेमलता साहू	कुन्दरापारा मांढर	हेमलता
2	मधु वर्मा	मांढर	madhu
3	अनीता साहू	कुन्दरा पारा (मांढर)	अनीता साहू
4	गंगा साहू	कुन्दरापारा मांढर	गंगा साहू
5	झन्ना साहू	कुन्दरा पारा मांढर	झन्ना साहू
6			
7	अखनी साहू	कुन्दरा पारा मांढर	अखनी साहू
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	वर्षा देवांगन	कुन्दरा पारा मांढर	वर्षा देवांगन
10	पुष्पा निषाद	कुन्दरा पारा मांढर	पुष्पा निषाद
11	भानमती निषाद	कुन्दरा पारा मांढर	भानमती निषाद
12	चंपा ध्रुव	कुन्दरा पारा मांढर	चंपा ध्रुव
13	निशा मानिकपुरी	कुन्दरा पारा मांढर	निशा मानिकपुरी
14	शशि कुर्रे	भाठापारा मांढर	[illegible]
15	ममता डाण्डेकर	रेल्वे स्टेशन मांढर	Mamta
16	तामेश्वरी साहू	मांढर योगेन्द्र नगर	तामेश्वरी साहू
17	शोभा मानिकपुरी	मांढर योगेन्द्रनगर	शोभा मानिकपुरी
18	गणेशचन्द मूर्ति	मांढर	[illegible]
19	तिटारू वर्मा	मांढर	[illegible]

क्रमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर
20	नीता साहू	योगेन्द्र नगर मांढर	नीता साहू
21	दुर्गा निषाद	कु. मांढर	दुर्गा निषाद
22	रत्ना बाई साहू	योगेन्द्र नगर मांढ़र	रत्ना बाई साहू
23	रितु साहू	योगेन्द्र नगर मांढ़र	रितु साहू
24	तारा शर्मा	योगेन्द्र नगर मांढर	तारा शर्मा
25	भुवनेश्वरी साहू	योगेन्द्र नगर मांढर	भुवनेश्वरी साहू
26	गीतिका साहू	योगेन्द्र नगर मांढर	गीतिका साहू
27	सुमन गोस्वामी	योगेन्द्र नगर मांढर	सुमन गोस्वामी
28	भारती गोस्वामी	योगेन्द्र नगर मांढ़र	Bharti Goswami
29	आरती गुप्ता	योगेन्द्र नगर मांढर	Aarti Gupta
30	पुष्पा गुप्ता	योगेन्द्र नगर मांढर	पुष्पा गुप्ता
31	अंजु साहू	योगेन्द्र नगर मांढर	अंजु साहू
32	मिलेश्वरी साहू	योगेन्द्र नगर मांढर	मिलेश्वरी साहू
33	मिथलेश्वरी धीवर	योगेन्द्र नगर मांढर	मिथलेश्वरी धीवर
34	अमर साहू	योगेन्द्र नगर मांढर	[illegible]
35	भुवनेश्वरी साहू	योगेन्द्र नगर मांढर	Bhuneshwari
36	सहसराम	मांढ़र	सहसराम
37	रामनाथ	मांढ़र	रामनाथ
38	शत्रुहन	मांढ़र	शत्रुहन
39	रमेश साहू	मांढर	रमेश साहू
40	लीलाम्बर साहू	ग्राम मांढर ~~माढ़र~~ पथरा	लीलाम्बर साहू
41	लक्ष्मण साहू	मांढर कुन्द्रापारा	लक्ष्मण साहू
42	टेकेश्वर साहू	मांढर कुन्द्रापारा	टेकेश्वर
43	भगवती वर्मा	मांढर	[illegible]
44	कालिन्द्री	मांढर	
45	शकुन साहू	कुन्द्रापारा मांढर	शकुन साहू

क्रमांक	नाम	पता	हस्ताक्षर
46	नरेन्द्र निषाद	कुन्दराबारी	Narender
47			
48	पंचवती	मांदर	पंचवती
49	उमा बाई साहू	मांदर	उमा बाई साहू
50	रेखा साहू	मांदर	रेखा साहू
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			